सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF CUSTOMS
19 DEC 2017
तिरुच्चिराप्पल्लि / TIRUCHIRAPPALLI-1

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

सी.सं.VIII/09/04/2017-सीशु नीति दिनांक 13.12.2017

स्थायी आदेश सं.: 02/2017

विषय: प्रतिअदायगी देने के प्रयोजन हेतु नमूने लेने के संबंध में।

प्रतिअदायगी देने के प्रयोजन हेतु नमूने लेने के लिए मौद्रिक सीमा निर्धारित करने और कुछ परिस्थितियों में नमूना लेने की आवश्यकताओं से छूट देने के लिए जारी बोर्ड का परिपत्र सं 47/2017-सीशु देखें फा.सं. 609/13/2017-प्रअ दिनांक 27.11.2017 और परिपत्र सं 34/95-सीशु दिनांक 06.04.1995, 57/97-सीशु दिनांक 31.10.1997 और 25/2005 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. व्यापार को सुकर बनाने और व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बोर्ड ने परिपत्र सं 34/95-सीशु दिनांक 6.4.1995, 57/97-सीशु दिनांक 31.10.1997 और 25/2005-सीशु को रद्द करने का फैसला लिया है ।

i.निर्यात शिपमेंट्स को जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) में दिए गए जोखिम मानदंडों के अनुसार समुचित प्रक्रिया के अधीन रखा जाना जारी रहेगा।

ii. जहॉ भी निर्यात परेषण को निर्धारण या परीक्षण के लिए चयन किया जाता है सीमा शुल्क का अधिकारी, जो सहायक या उप आयुक्त से कम रैंक के न हो, प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर नमूने लेने की आवश्यकता को निर्धारित करेंगे ।

iii. चूँकि नमूनों की टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मामले को फाइनल करने पर ही प्रतिअदायगी का भुगतान होता है इसलिए वरिष्ठ स्तर पर नियमित निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि नमूनों को केवल जहॉ आवश्यक हो वहीं लिया जाएगा और नियम समय में मामले को बंद कर दिया जाएगा तथा यह अवधि जिस दिन निर्यात हो गया है, उस तारीख से तीस दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

iv. सीमा शुल्क किसी विशिष्ट आसूचना या दुरुपयोग, धोखाधडी, आदि के संदह होने पर नमूने ले सकते हैं ।

3. सभी अधिकारियों को उपरोक्त अनुदेशों को निष्ठापूर्वक पालन करने का निदेश दिया जाता है । कोई भी कठिनाई आने पर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाए ।

अशोक

(अशोक)

आयुक्त